



फर्ट अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

देवाराज मुब - दुबारा राफ जाति जाद बनाम ① खीयाराय मुब - दुबारा राफ कोरा
 निवासी - छोड़ व नोखडा ② जाति जाद खेड़
 ③ सटसीसदार गुडामालानी

किस्म मुकदमा राजस्थान वाद अधि. मुकदमा नम्बर 103/27

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8/23	प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री <u>रामप्रसाद कुमारावत</u> ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा <u>53, 188</u> राजस्थान कारतकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>6/10/23</u> को पेश हो।  सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी	
04/10/23	प्रजावली आज पेडा हुई कर्णल वाडी उपरीकम प्रकील वाडी प्रतिवादीगण के सम्मन जात जात भोजकर शरीर पेडा करने का अवसर पहले है। अवसर दिनांक 04/10/23 प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 की और में एस. चिमनसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया जात अहकाम प्रजावली दिनांक 04/10/23 को पेश हो।  सहायक कलक्टर गुडामालानी	
4/12/23	प्रजावली पेश हुई। प्रजावली पेश करने वाले वकील ने वास्तव में वास्तव में वास्तव में पत्रावली अहकाम 2/12/23 पेश हो।	



12/2/24 पत्रावली काज पेश हुई। काजी क प्रतिवादी
सं. 1, 2, 4 के मील उज्जयिनी के उज्जयिनी
के उज्जयिनी पत्रावली वाले उज्जयिनी उज्जयिनी
डिके 18/3/24 को पेश हो।

18/3/24

पत्रावली काज पेश हुई। ~~हायड कलेक्टर, गुवायावादी~~

अदम पैरवी
के

वजुलाय पक्षकारान कहुपसिपत।
पक्षकारान के मय कहुपसिपत कोही
समय के लीन वार लीन-लीन कहुपसिपत
डिके 18/3/24 को पेश हो। डिके 18/3/24
के पक्षकारान व पक्षकारान के
कहुपसिपत कहुपसिपत कहुपसिपत
उज्जयिनी उज्जयिनी उज्जयिनी पक्षकारान
की कहुपसिपत के काज होगी
व काज पैरवी के कारिज डिप,
जाता है पत्रावली विधीन हुमा
देकर कारिज पेश हो।